राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 4/2018
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2018/00096
दायर दिनांक– 27.03.2018
निर्णय दिनांक– 05.04.2023

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़, जिला अजमेर

——वादी

बनाम

1. मालाराम पुत्र मुन्नाराम जाति रेगर, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

–प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–:1. पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सिनोदिया पटवार हल्का सिनोदिया, भू–अ0नि0 क्षेत्र कोटड़ी, तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर में कृषि भूमि ख0न0 946 रकबा 12–19 बीघा किस्म बारानी 2 भूमि स्थित है जो कि अप्रार्थी की खातेदारी में राजस्व जमाबंदी सम्वत् 2070–73 के खाता संख्या 247 पर दर्ज है। प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ भूमिधारक है। अप्रार्थी भूमि का खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी भूमिधारक से अप्रार्थी ने बतौर खातेदार के भूमि धारित की है। वाद अधीन भूमि कृषि भूमि है, जिस पर खेती काश्त करने के अलावा अप्रार्थी अन्य कोई अकृषि कार्य नहीं कर सकते है। अप्रार्थी अकृषि कार्य करने के लिए अधिकृत नही है।

पटवारी हल्का सिनोदिया द्वारा दिनांक 16.03.2018 को एक रिपोर्ट मय मौका पर्चा के प्रार्थी को प्रस्तुत की जिसके अनुसार ग्राम सिनोदिया के ख0न0 946 रकबा 12–19 बीघा में से 03–08 बीघा भूमि पर अवैध रूप से बजरी खनन कार्य से बड़े–बड़े खड्डे खुदे हुये है अर्थात पूर्व में अवैध खनन कार्य किया जाना पाया गया था। पटवारी हल्का सिनोदिया की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा नंबर में पूर्व में अवैध बजरी खनन किया हुआ है एवं उक्त खसरा नंबर में 03–08 बीघा भूमि कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में अवैध खनन कार्य कर अवैध रूप से बजरी खनन कार्य किया जा रहा है जो कि नियम विरूद्ध कार्य है। इस प्रकार यह स्पष्ट तौर पर अप्रार्थी का कृत्य कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करने की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी को यह अधिकार नहीं है कि कृषि भूमि पर किसी प्रकार का कोई अकृषि कार्य कर भूमि के स्वरूप को बदलेगा अथवा भूमि की मृदा को नष्ट, खुर्द–बुर्द करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:38:17 IST
Reason: SelfAttested

05.4.23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

अप्रार्थी द्वारा वाद अधीन कृषि भूमि पर अकृषि कार्य अवैध बजरी खनन कार्य करने से नियमानुसार अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर अप्रार्थी को भूमि से बेदखल किया जाकर भूमि को भूमिधारक के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। वाद कारण दिनांक 16.032018 को पटवारी हल्का सिनोदिया द्वारा मौका पर्चा दिनांक 15.03.2018 प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण द्वारा वाद अधीन भूमि पर अवैध बजरी खनन कार्य करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर उत्पन्न होकर निरंतर जारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये नोटिस की गई। प्रतिवादी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही में अमल लायी गयी। चूंकि प्रतिवादी द्वारा कोई भी जवाव, साक्ष्य आदि पेश नहीं किये गये है। प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने के कारण पत्रावली में तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही साक्ष्य में नियत की गयी। तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा साक्ष्य को बंद कर सीधे ही बहस हेतु निवेदन किया।

पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ की बहस सुनी गयी। तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम सिनोदिया के ख0न0 946 रकबा 12–19 बीघा में से 03–08 बीघा कृषि भूमि पर प्रतिवादी द्वारा अवैध रूप से बजरी खनन किया गया। प्रतिवादी द्वारा बिना किसी सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि का अकृषि कार्यो हेतु उपयोग किया गया, जो गैर कानूनी व अवैध है। इस वादी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी की भूमि के 03–08 बीघा हिस्से को सिवायचक घोषित किया जावें। हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन एवं पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस पर मनन किया। अतः वादी का वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम सिनोदिया ख0न0 946 रकबा 12–19 बीघा में से 03–08 बीघा भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

05.4.23

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:38:17 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:– 04/2018

उनवान:–

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़, जिला अजमेर

––वादी

बनाम

1. मालाराम पुत्र मुन्नाराम जाति रेगर, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

–प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल सुखाराम पिण्डेल उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ के समक्ष वादी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का साबित होने पर स्वीकार किया जाकर ग्राम सिनोदिया ख0न0 946 रकबा 12–19 बीघा में से 03–08 बीघा भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश करने के आदेश दिये जाते है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.04.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

05.4.23

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:38:17 IST
Reason: SelfAttested